

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-06052026-272270
SG-DL-E-06052026-272270

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113]	दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2026/वैशाख 9, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 24
No. 113]	DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2026/VAISAKHA 9, 1948	[N. C. T. D. No. 24

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (ई-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 अप्रैल, 2026

फा. सं. 6(5)/78-वित्त (ई-I) खंड-II/ डीएस-I/393.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उपराज्यपाल/मुख्यमंत्री राहतकोष (आय एवं व्यय विनियमन) नियमावली, 1994 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:- (1) इन नियमों को उपराज्यपाल/मुख्यमंत्री राहतकोष (आय एवं व्यय विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2026 कहा जाए।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- नियम 4 में संशोधन:-उपराज्यपाल/मुख्यमंत्री राहतकोष (आय एवं व्यय विनियमन) नियमावली, 1994 के नियम 4 में, अंको 20,000/-रुपये के स्थान पर अंको 10,00,000/- रुपये को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. नियम 5 में संशोधन:-

- (i) "ऐसी सहायता की आवश्यकता वाले लेखकों" शब्दों के पश्चात् तथा "उद्देश्यों के अतिरिक्त" शब्दों से पूर्व, निम्नलिखित शब्दों को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"या चिकित्सा आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए जो आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं"।

- (ii) इस नियम के अंतर्गत "उपरोक्त नियम 4 का प्रावधान" शब्द के पश्चात् जो परंतु कविद्यमान था, उसे हटा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"उपरोक्त श्रेणी में शामिल न होने वाले आवेदक का अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा या दिल्ली कल्याण समिति/दिल्ली आरोग्य कोष को प्रेषित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मंगेज सिंह, उप-सचिव

FINANCE (E-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 29th April, 2026

F. No. 6(5)/78-Fin(E-I)/Vol.II/DS-I/393.— The Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules further to amend the Lieutenant Governor/Chief Minister's Relief Fund (Regulation of Income and Expenditure) Rules, 1994, namely:-

1. Short Title and Commencement:- (1) These rules may be called the Lieutenant Governor/Chief Minister's Relief Fund (Regulation of Income and Expenditure) (Amendment) Rules, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. Amendment in Rule 4:- In the Lieutenant Governor/Chief Minister's Relief Fund (Regulation of Income and Expenditure) Rules, 1994, in rule 4, for the figures Rs. 20,000/-, the figures Rs. 10,00,000/- shall be substituted.
3. Amendment in Rule 5:-
 - (i) After the words "writers in need of such assistance" and before the words "in addition to the purposes", the following words shall be inserted, namely:-
"or to a persons in medical need who are not covered under Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna".
 - (ii) The proviso existed under this rule after the words "provision of rule 4 above" shall be deleted, namely:-
"the request of the applicant not covered under above category will be rejected or forwarded to Delhi Kalyan Samiti/Delhi Arogya Kosh as the case may be".

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
MANGEJ SINGH, Dy. Secy.